महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष: 0151-2970177 ई-मेल: registrar@mgsubikaner.ac.in

क्रमांक प.07(334)मगंसिविबी/बोम-32/2019/ 13469-85 दिनांक : 13-8-19

प्रो. भगीरथ सिंह
माननीय अध्यक्ष
कुलपति
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,
बीकानेर (राज.)।

विषय :- प्रबन्ध बोर्ड की 32 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 06-08-2019 को आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की 32 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह डूडी)
कुलसचिव

mycomp/E/Sl/doex1

Scanned by CamScanner

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष: 0151-2970177 ई-मेल: registrar@mgsubikaner.ac.in

प.07( )मगंसिविबी/प्रबन्ध बोर्ड-32/2019/ 13395-13424 दिनांक 13/8/19

प्रबन्ध बोर्ड की 32 वीं बैठक
कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 32वीं बैठक दिनांक 06 अगस्त, 2019 को प्रातः 11:00 बजे प्रबन्ध बोर्ड सभागार, महर्षि शौनक भवन (कुलपति सचिवालय) में माननीय कुलपति प्रो. भगीरथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1	**प्रो. भगीरथ सिंह, कुलपति,** महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	अध्यक्ष
2	**श्रीमती कृष्णा पूनिया** माननीया विधायक-सादुलपुर	सदस्य
3	**श्री जगदीश चन्द्र** माननीय विधायक-सादुलशहर	सदस्य
4	**डॉ. राकेश हर्ष, सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज.** प्रतिनिधि, शासन सचिव, उच्च शिक्षा राज. सरकार, जयपुर	सदस्य
5	**प्रो. लक्ष्मी शर्मा** माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य
6	**डॉ. विनोद चन्द** राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य
7	**डॉ. एन.एस. बिस्सा** राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य
8	**डॉ. अनन्त जोशी** राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्राचार्य, निजी महाविद्यालय	सदस्य
9	**प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल** कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य
10	**प्रो. अनिल कुमार छंगाणी** कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत आचार्य	सदस्य
11	**प्रो. राजाराम चोयल** कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य
12	**प्रो. नारायण सिंह राव** कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत आचार्य	सदस्य
14	**श्री राजेन्द्र सिंह डूडी - कुलसचिव**	सदस्य सचिव

Scanned by CamScanner

(संभागीय आयुक्त, प्रतिनिधि अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज. सरकार, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, डॉ. विजय कुमार पंचोली, माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नामित सदस्य बैठक में अनुपस्थित रहे)।

कुलपति महोदय द्वारा समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। प्रबन्ध बोर्ड में नवमनोनीत सदस्य श्रीमती कृष्णा पूनिया, श्रीमान् जगदीश चन्द्र, डॉ. विनोद चन्द, डॉ. एन.एस. बिस्सा, डॉ. अनन्त जोशी, शासन सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित डॉ. राकेश हर्ष, पुनः मनोनीत सदस्य प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, प्रो.अनिल कुमार छंगाणी, प्रो. राजाराम चोयल एवं प्रो. नारायण सिंह राव का स्वागत किया तथा समस्त सदस्यों का परिचय कराया।

प्रबन्ध बोर्ड के निवर्तमान सदस्य डॉ. गोपाल जोशी, सुश्री सिद्धि कुमारी, प्रो. राजीव सक्सेना, डॉ. एस.के. बिस्सू, डॉ. आर.जी. शर्मा, डॉ. एन.के. व्यास, द्वारा प्रबन्ध बोर्ड बैठक एवं विश्वविद्यालय में दिये गए सहयोग की सराहना की गई।

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 48 के अनुसार विश्वविद्यालय के स्वयं के परिनियम,आर्डिनेंस एवं विनियम नही बनने तक महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नियमों के प्रावधानुसार कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

मद संख्या	विवरण	अनुभाग/ विभाग
399	दिनांक 25-06-2018 को सम्पन्न हुई 31 वीं बैठक के कार्यवृत की पुष्टि का प्रस्ताव। परिशिष्ट- 1 (पृष्ठ संख्या : 01-06)	शैक्षणिक
निर्णय	**अनुमोदन किया गया।**	
400	दिनांक 25-06-2018 को आयोजित 31वीं बैठक के कार्यवृत पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव। परिशिष्ट- 2 (पृष्ठ संख्या : 07-28)	शैक्षणिक
निर्णय	**पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।** **(1) निर्णय संख्या 396 की पालना में गठित समिति "पढ़ाई के साथ कमाई " योजना हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा को स्वीकार किया गया।** **(2) शोध निदेशक पद हेतु निर्धारित "Outstanding Scholar" में रिसर्च फैलो के अनुभव की शर्त को व्यवहारिक नही होने के कारण विलोपित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को अवगत कराया कि शोध निदेशक की योग्यता के निर्धारण हेतु आगामी बैठक में इस विषय पर मद प्रस्तुत किया जाएगा।**	
401	कुलपति महोदय की स्वीकृति से जारी आदेश की पुष्टि का प्रस्ताव।	
	(1) प्रतिवेदित है कि उच्च शिक्षा विभाग, राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.1(4) शिक्षा-4/2016 दिनांक 01-10-2018 के द्वारा कुलपति, विश्वविद्यालय शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक निदेशक-शारीरिक	संस्थापन

Scanned by CamScanner

	शिक्षा के पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 01-01-2016 से स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03(72)मगंसिविबी / संस्था/2018/22104-114 दिनांक 23-10-2018 एवं प.03(72) मगंसिविबी /संस्था/2018/28720-27 दिनांक 24-12-2018 विश्वविद्यालय में लागू किया गया। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **परिशिष्ट- 3** (पृष्ठ संख्या : 29-41)	
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(2) **प्रतिवेदित है कि** वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F.6(5)FD (Rules)/ 2009 Dated 23.10.2018 के द्वारा राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 में ग्रेड-पे 4800/- तक के कार्मिकों को 30 दिवस का तदर्थ बोनस (अधिकतम 7000/-) स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय कार्मिकों को आदेश क्रमांक प.03(45)मगंसिविबी/संस्था/ 2018/ 22835-876 दिनांक 31-10-2018 के द्वारा बोनस का भुगतान किया गया। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **परिशिष्ट- 4** (पृष्ठ संख्या : 42-48)	संस्थापन
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(3) **प्रतिवेदित है कि** कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक F.17(10)DOP/A-II/94 Dated 08-02-2018 के द्वारा सरकारी सेवा से सेवानिवृत कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के समय आहरित ग्रेड-पे/वेतनमान के अनुसार स्थिर पारिश्रमिक दिए जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03(11)मगंसिविबी/ संस्था/ 2018/ 13205-2037 दिनांक 13-08-2018 के द्वारा विश्वविद्यालय में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदात्मक सेवा हेतु जुलाई, 2018 से स्थिर मासिक पारिश्रमिक की दरें लागू की गई है। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **परिशिष्ट- 5** (पृष्ठ संख्या : 49-56)	संस्थापन
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(4) **प्रतिवेदित है कि** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर मूल याचिका संख्या 3727/2018 (बिक्कर सिंह बनाम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं अन्य तथा इस प्रकार की अन्य 9 याचिकाओं में एल एल.बी. द्वितीय/तृतीय वर्ष के परिणाम के सम्बन्ध में) एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08-05-2018 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर खण्डपीठ में अपील दायर करने हेतु विशेष अधिवक्ता की सेवाओं की एवज में विधिक शुल्क राशि 1.50 लाख प्रति पैरवी एवं अन्य व्यय के भुगतान की अग्रिम स्वीकृति माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरान्त विश्वविद्यालय पत्रांक प. 08(457-ए)मगंसिविबी /विधि/2018/777-80 दिनांक 03/07/18 के द्वारा प्रदान की गई।	विधि

Scanned by CamScanner

	उक्त प्रकरण में अधिवक्ता द्वारा आज दिनांक तक निम्नानुसार प्रति पैरवी भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किये गए हैं :-	

क्र. सं.	पैरवी की दिनांक	बिल संख्या	राशि रू.
1	12.09.2018	F-1936 & E-1706 Dated 30-11-2018	1,71,000 अधिकतम
2	13.12.2018	F-2049 & E-1820 Dated 17-01-2019	1,65,500
3	16.01.2019	F-2053 & E-1824 Dated 17-01-2019	1,65,500
4	21.01.2019	F-2081 & E-1851 Dated 23-01-2019	1,65,500
5	19.02.2019	2081-A & 1851-A Dated 23-02-2019	1,71,000 अधिकतम

आज दिनांक तक प्राप्त बिलों की कुल राशि रू. 8,38,500/- है। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

परिशिष्ट- 6 (पृष्ठ संख्या : 57)

निर्णय	**पुष्टि की गई। साथ ही भविष्य में वाद की प्रकृति के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सूची एवं मानदेय दर प्राप्त कर तुलनात्मक परीक्षण के पश्चात अधिवक्ता नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया।**	

(5) **प्रतिवेदित है कि** विश्वविद्यालय विज्ञापन संख्या 04/2017 (संस्था.) के द्वारा कनिष्ठ लिपिक के 36 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। विज्ञप्ति में निम्नानुसार योग्यता निर्धारित की गई — संस्थापन

A. Senior Secondary from a recognized Board or its equivalent examination.

And

B. "O" or higher level Certificate course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronic, government of India.

Or

Computer operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer software (DPCS) certificate organized under national State Council of Vocational Training Scheme.

Or

Diploma/Certificate in Computer Science/Computer Application from a University established by law in India or from an institution recognized by the Government.

Or

Scanned by CamScanner

	Or Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RS-CIT) conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited," राज्य सरकार के अनुसार विज्ञापन में अंकित कम्प्यूटर सम्बन्धी उच्च योग्यताधारी (स्नातक एवं स्नातकोत्तर कम्प्यूटर विज्ञान) अभ्यर्थियों को पात्र माने जाने के लिए पात्रता जांच समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा दिनांक 08.06.2018 के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को कनिष्ठ लिपिक पद हेतु पात्र मानते हुए कम्प्यूटर टाईप टेस्ट परीक्षा (द्वितीय चरण) में सम्मिलित किया गया। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **परिशिष्ट- 7** (पृष्ठ संख्या : 58-70)	
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(6) **प्रतिवेदित है कि** कनिष्ठ लिपिक पद पर चयनित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के नियुक्ति आदेश दिनांक 12.09.2018 में अन्य शर्तो के साथ नोट संख्या 04 एवं 5 में निम्नानुसार अंकित किया गया है :- 4. विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से 06 माह की अवधि में यदि कोई अभ्यर्थी सेवा छोड़कर जाता है तो उसे 06 माह के नियत पारिश्रमिक/वेतन के समान राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा करानी अनिवार्य होगी। 5. कार्यग्रहण के 06 माह पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी सेवा से त्यागपत्र देता है तो उसे तीन माह पूर्व लिखित में नोटिस देना अनिवार्य होगा अन्यथा नोटिस अवधि के बराबर (तीन माह) वेतन राशि विश्वविद्यालय में जमा करानी आवश्यक होगी। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **परिशिष्ट- 8**	संस्थापन
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(7) **प्रतिवेदित है कि** विश्वविद्यालय में कनिष्ठ लिपिक पद हेतु विज्ञापित पदों पर भर्त्ती हेतु दिनांक 28-01-2018 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। विज्ञापन में अंकित शर्तानुसार "कनिष्ठ लिपिक पद हेतु विज्ञापित श्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या के तीन गुने के अध्यधीन लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 % अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से वरीयता क्रम में उपलब्ध अभ्यर्थी कम्प्यूटर टाइप टेस्ट हेतु पात्र होंगे" के अनुसार 146 अभ्यर्थियों का दिनांक 02-09-2018 को ऑनलाईन हिन्दी एवं अंग्रेजी में टाईप टेस्ट करवाया गया जिसमें 136 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। लिखित परीक्षा एवं टाईप टेस्ट में सम्मिलित रूप से प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार वरीयता के आधार पर महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अशैक्षणिक संवर्ग के भर्त्ती एवं पदोन्नति नियम (जो इस विश्वविद्यालय में प्रभावी हैं) के अनुसार विश्वविद्यालय आदेश	संस्थापन

Scanned by CamScanner

	क्रमांक प.03(01-अ.श.भ.) /मगंसिविबी/संस्था/2018/17563-603 दिनांक 12-09-2018 के द्वारा 34 अभ्यर्थियों को कनिष्ठ लिपिक के पद परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई। नियुक्ति पश्चात दो कनिष्ठ लिपिकों (सुश्री संगीता भाटी, सुश्री सुमन मण्डा एवं श्री घेवाराम) द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया तथा एक पद (ओबीसी महिला श्रेणी) पर चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने के कारण प्रतीक्षा सूची में वरीयता क्रम में उपलब्ध सुश्री प्रिया शेखर को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। **परिशिष्ट- 9** (पृष्ठ संख्या : 71-77)	
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(8) **प्रतिवेदित है कि** वित्त विभाग (जी.एफ. एण्ड ए.आर. डीवीजन) के ज्ञापन क्रमांक F.1(4)FD/GF&AR/2006 दिनांक 04.02.2019 के द्वारा जारी लेखा एवं वित्त कार्मिकों की भूमिका, कार्य, उत्तरदायित्व एवं अधिकार संबंधी निर्देश विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प. 03(25)/मगंसिंविबी/ संस्था/2019/1988 दिनांक 18.04.2019 के द्वारा विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये गए। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **परिशिष्ट- 10** (पृष्ठ संख्या : 78-86)	संस्थापन
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(9) **प्रतिवेदित है कि** राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.6(3)FD/Rules/2017 एवं F.12(8)FD/Rules/2017 दिनांक 10-09-2018 के अनुसरण में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प. 05(26)मगंसिविबी/लेखा/2018/19282 दिनांक 26-09-2018 के द्वारा अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि को विश्वविद्यालय में लागू किया गया। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **परिशिष्ट- 11** (पृष्ठ संख्या : 87)	संस्थापन
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(10) **प्रतिवेदित है कि** राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.6(3)FD/Rules/2017 एवं F.12(8)FD/Rules/2017 दिनांक 22-02-2019 के अनुसरण में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प. 05(26)मगंसिविबी/लेखा/2018/2851-57 दिनांक 24-04-2019 के द्वारा अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि को विश्वविद्यालय में लागू किया गया। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **परिशिष्ट- 12** (पृष्ठ संख्या : 88)	लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(11) प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त मोहता महाविद्यालय, सादुलपुर के खिलाड़ी श्री प्रदीप कुमार का एथेलेटिक्स खेल	खेलकूद

Scanned by CamScanner

	में "World University Games-2019 में चयन हुआ है जो कि Napoli, Italy में आयोजित होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को ही यात्राभत्ता/किट/दैनिक एवं अन्य खर्च के भुगतान करने का प्रावधान है। विश्वविद्यालय के खिलाड़ी का प्रथम बार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की "World University Games-2019 में चयन होने के कारण उक्त खिलाड़ी को प्रतियोगिता में भाग लेने पर होने वाले समस्त खर्च राशि रू. 2,26,050/- का भुगतान विश्वविद्यालय से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त सम्बन्ध में जारी आदेश F.21( )Sports Board/10131-35 dated 09-04-2019 पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **परिशिष्ट- 13** (पृष्ठ संख्या : 89)	
निर्णय	पुष्टि की गई।	
402	**प्रतिवेदित है कि** विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 43 के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 कुलपति महोदय के निर्देश में तैयार करवाकर मुद्रण पश्चात् विधानसभा में प्रेषित करने हेतु राज्य सरकार को भिजवा दी गई है। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **परिशिष्ट- 14** (पृष्ठ संख्या : 90)	शैक्षणिक
निर्णय	पुष्टि की गई।	
403	(1) **प्रतिवेदित है कि** लोकसभा चुनाव-2019 की आचार संहिता के कारण प्रबन्ध बोर्ड की बैठक आहूत नही होने के कारण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 12(6) के प्रावधानानुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा 01 अप्रेल, 2019 से 30 जून, 2019 तक अनुमोदित अंतरिम बजट (लेखानुदान) स्वीकृत किया गया। उक्त सम्बन्ध में जारी आदेश प.05(122) लेखा/मगंसिंविबी/2019/390-93 दिनांक 05-04-2019 पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। (2) **प्रतिवेदित है कि** विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 12(6) के प्रावधानानुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा 01 जुलाई, 2019 से 31 अगस्त, 2019 अथवा विश्वविद्यालय बजट का प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदन होने तक अनुमोदित अंतरिम बजट (लेखानुदान) स्वीकृत किया गया। उक्त सम्बन्ध में जारी प.05(122)लेखा/ मगंविबी/2019/ 11861-65 दिनांक 22-07-2019 पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **परिशिष्ट- 15** (पृष्ठ संख्या : 91-92)	लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	

Scanned by CamScanner

404	वित्त समिति द्वारा अनुशंसित वित्त वर्ष 2018-19 के वास्तविक व्यय एवं वित्त वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान के अनुमोदन का प्रस्ताव। **परिशिष्ट- 16** (पृष्ठ संख्या : 93-104)	लेखा
निर्णय	**वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में प्रस्तावित प्रावधानों को बिन्दुवार निम्नानुसार संशोधित/नवीन प्रावधान जोड़ते हुए अनुमोदन किया गया :-** (1) विश्वविद्यालय विभागों के शोधार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने एवं शिक्षकों के लिए लघु शोध प्रोजेक्ट के लिए राशि रू. 20.00 लाख का प्रावधान किया गया। (2) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चयनित खिलाड़ी द्वारा विश्वविद्यालय विभागों में प्रवेश लेने पर उनको छात्रवृत्ति देने हेतु राशि रू. 5.00 लाख का प्रावधान किया गया। (3) Lab Equipments मद में राशि रू. 130 लाख का प्रावधान संशोधन किया गया। (4) Gratuity & Leave Encashment मद में राशि रू. 10 करोड़ का प्रावधान संशोधन किया गया। (5) Language Lab मद में राशि रू. 25.00 लाख का प्रावधान किया गया। (6) राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजन हेतु बजट में राशि रू. 50.00 लाख का प्रावधान किया गया। (7) परिसर में जीव-जन्तुओं के पीने के पानी हेतु तालाब निर्माण के लिए राशि रू. 30.00 लाख का प्रावधान किया गया।	
405	विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 13-07-2019 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव। **परिशिष्ट- 17** (पृष्ठ संख्या : 105-115)	शैक्षणिक
निर्णय	**अनुमोदन किया गया।**	

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक दौरान प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार कर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय हुए :-

(1) प्रबन्ध बोर्ड /चयन समिति के माननीय सदस्यों को राशि रू. 5,000/-, विद्या परिषद् सदस्यों को राशि रू. 2,000/- एवं अध्ययन बोर्ड के सदस्यों को राशि रू. 1000/- बैठक भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

(2) विश्वविद्यालय में सेवादाता फर्म के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी राशि 400/- रू. प्रति दिवस निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

(3) निदेशक, आई.क्यू.ए.सी. द्वारा प्रस्तुत **Annual Quality Assurance Report** (AQAR) 2017- 18 का अनुमोदन किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(राजेन्द्र सिंह डूडी)
कुलसचिव

Scanned by CamScanner